ok

PAX

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र06–विविध–03/2010 5401 खाद्य–पटना/दिनांक– 23.8.2013.

प्रेषक,

शिशिर सिन्हा,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य खाद्य निगम द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को कैम्प कर एस0आई0ओ0 वितरण करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण के संबंध में विभाग द्वारा पत्र सं0– 784 दिनांक 08.02.2010 के द्वारा व्यापक दिशा–निदेश दिये गये है । इसी के क्रम में विभाग द्वारा फूड कैलेन्डर जारी किया गया है जिसमे विभिन्न स्तरों पर निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कार्यों के निष्पादन एवं उनके उत्तरदायित्व निर्धारित किये गये है ।

आप अवगत है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लागू किया गया है । इसमें पात्र परिवारों को ससमय खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराना बाध्यकारी हो जाएगा। जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा आवंटन माह के पूर्ववर्त्ती माह की प्रथम तिथि से 10वीं तिथि तक ससमय खाद्यान्न का मूल्य तो जमा कर दिया जाता है किन्तु उन्हें ससमय एस0आई0ओ0 राज्य खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराने के कारण विक्रेताओं को खाद्यान्न मिलने में विलंब होता है जिसका कुप्रभाव अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ता है । इस स्थिति में प्रत्येक प्रखंड में राज्य खाद्य निगम के गोदामों में शिविर के माध्यम से उस क्षेत्र के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को निर्धारित तिथि को एस0आई0ओ0 का वितरण कराने का निर्णय लिया गया है ।

इस दिशा में राज्य खाद्य निगम द्वारा सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को यह निदेश दिया गया है कि प्रत्येक माह की 15वीं एवं 20वीं तिथि को गोदामवार सहायक गोदाम प्रबंधक एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की उपस्थिति में सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को शिविर लगाकर एस0आई0 ओ0 का वितरण किया जाएगा । सहायक गोदाम प्रबंधकों को एक से अधिक गोदाम के प्रभारी होने की स्थिति में क्रमशः दूसरे गोदाम का 16वीं तारीख एवं तीसरी गोदाम का 17वीं तारीख को तथा दूसरे चरण में क्रमशः 21वीं एवं 22वीं तारीख को गोदामवार जिला आपूर्ति पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर एस0आई0 ओ0 का वितरण किया जाएगा ।

इस संबंध में निम्नलिखित अनुदेश दिये जाते है :–

1. शिविर के माध्यम से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को एस0आई0ओ0 की वितरण की तिथि को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाय ।

2. सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अपने स्तर से संबंधित जिला प्रबंधक / गोदाम प्रबंधक / सहायक गोदाम प्रबंधक से समन्वय स्थापित करते हुए उक्त निर्धारित तिथि के अनुसार एस0आई0ओ0 का वितरण करायेंगे ।

3. सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को निर्धारित तिथि को अपना एस0आई0ओ0 प्राप्त करने हेतु निदेश दिया जाय ।

4. राज्य खाद्य निगम द्वारा उक्त निर्धारित तिथि को यदि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को शिविर में एस0आई0ओ0 का वितरण नहीं करते है तो इसके संबंध में जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाय ।

5. जन वितरण प्रणाली विक्रेताआ यदि उक्त शिविर में एस0आई0ओ0 प्राप्त नहीं करते है तो जांच कर उनके विरूद्व आवश्यक कार्रवाई की जाय ।

अनुरोध है कि उक्त निदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-
प्रधान सचिव ।
22

ज्ञापांक– प्र06–विविध–03/2010 5401 खाद्य–पटना/दिनांक–23.8.2013.

प्रतिलिपि – प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, सोन भवन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि इससे अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया जाय ।

ह0/-
प्रधान सचिव ।

D:\Drive_F\YEARS - 2012\SECTION - 06\Vividh.doc